न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : – 44/2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम जी जाति मेघवाल जिला जोधपुर। 2. भजनी देवी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल 3. बिदामी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल 4. चुकी देवी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर। 2. मोहनराम पुत्र मूलाराम जी जाति मेघवाल 3. कमला देवी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर।

वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति व प्रकाश राणावत।
2. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा।

दिनांक : –01-6-2026

– : निर्णय : –

1. वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद (44/2024) बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण कि संयुक्त कब्जाकाश्त की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम गंगाणा पटवार हल्का बोरानाडा तहसील झंवर के खसरा नम्बर 256/98 कुल रकबा 0.6879 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जिस हेतु वादीगण द्वारा वाद पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा एवं वादीगण का हिस्सा अलग करने का निवेदन किया है।
2. वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.03.2025 को जारी की गई एवं तहसीलदार झंवर को बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाडा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाडा प्रस्ताव पत्र कमांक भू.अ./2025/75 दिनांक 06.05.2025 को पेश किया गया। वादीगण का भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज (जमाबंदी दिनांक 17.04.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 06.05.2025 मय मौका फर्द दिनांक 21.04.2025 को की गई जिसके आधार पर वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार झंवर द्वारा पेश राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्नानुसार है –

क.स.	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान
1.	1 ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/4 2 भजनी पुत्री मूलाराम हिस्सा 1/4 3 बिदामी पुत्री मूलाराम हिस्सा 1/4 4 चुकीदेवी पुत्री मूलाराम हिस्सा 1/4 जाति मेगवाल निवासी गंगाणा तहसील झंवर	256/98	0.4586	बा.।।।	0.68
		01	**0.4586**	**बा.।।।**	**0.68**
2.	1 मोहनराम पुत्र मुलाराम हिस्सा 1/2 2 कमलादेवी पुत्री मूलाराम हिस्सा 1/2 जाति मेगवाल निवासी गंगाणा तहसील झंवर खातेदार।	256/98	0.2293	बा.।।।	0.34
		01	**0.2293**	**बा.।।।**	**0.34**

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

3. पत्रावली में पक्षकारान् द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान आपस में सगे भाई बहन है जिस कारण लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है जिसमें उक्त भूमि बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्रावली पर है। उसी अनुसार डिक्री पारित करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा का राजस्व रैकर्ड जमाबंदी एवं नक्शें में इन्द्राज हेतु डिक्री पारित की जाने में पक्षकार सहमत है। अतः राजीनामा स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 256/98 रकबा 0.6879 हैक्टेयर ग्राम गंगाणा तहसील झंवर में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर डिक्री पारित कर राजस्व रैकर्ड में इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया है।

4. पत्रावली में उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया। पत्रावली में बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार झंवर से पूर्व ही पत्रावली पर है। चुंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतू सहमत है। ऐसी स्थिति में बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण संयुक्त खातेदार होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : आदेश : —

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 21.04.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बंटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 21.04.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हँसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : – 44 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम जी जाति मेघवाल जिला जोधपुर। 2. भजनी देवी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल 3. बिदामी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल 4. चुकी देवी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर। 2. मोहनराम पुत्र मूलाराम जी जाति मेघवाल 3. कमला देवी पुत्री मूलाराम जी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर।

दावा बाबत बंटवाडा प्रस्ताव अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 44 / 2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि–

अतः तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 21.04.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीगण एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रैकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे।

नीज................................मुबलिक..........................बाबत..........................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..............................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.../...को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 01-6-2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–		स्टांप अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	–	–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी